चाहता हूं कि गृह मंत्री को, प्रधान मंत्री को, भारत की सरकार को इसमें इन्टरवीन करना चाहिए, उनके प्रतिनिधियों को बुला कर राउन्ड टेबिल बात करके जो पिछले साल एश्योरेंस दिए गए थे उन्हें पूरा करना चाहिए जिससे एम्लाईज और सरकार के रिलेशन्स, स्ट्रेन्ड होते जा रहे हैं न वे हों। ये तीन सुझाव मैं देना चाहता था और मैं सरकार से इसका जवाब चाहूंगा।

श्री विद्याचरण शुक्ल : उपसभाध्यक्ष जी, जहां तक बाढ़ और अराजपत्रित कर्मचारियों का सवाल है, मुझे इसके बारे में कुछ सूचना इस वक्त तो नहीं है परन्तु मैं यह कहना चाहता हूं कि मैं इसके ऊपर जरूर ध्यान दूंगा और जो कुछ सम्भव हो सकेगा हम जरूर करेंगे।

जहां तक सरकार बनाने का सवाल है, मैंने पहले ही कहा कि जब तक राज्यपाल महोदय को पक्का विश्वास न हो जाय कि वहां पर सरकार स्थायी रूप से किसी भी दल के द्वारा चल सकती है तब तक वे इस तरह का सुझाव राष्ट्रपति जी को नही देंगे। यह हम लोगों का अधिकार नही है कि राज्यपाल को कहें कि उन्हें निर्णय किस तरह करना चाहिए और किस तरह इस बात का परीक्षण करना चाहिए। वे अपनी स्वेच्छा से वहां की परिस्थिति समझबूझ कर जो उचित समझेंगे उस तरह का सुझाव देंगे और जब उनका सुझाव मिलेगा तब उसके ऊपर हम विचार करेंगे और निर्णय लेंगे।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. P. BHARGAVA) : The question is :

"That the Bill be passed."

The motion was adopted.

THE CRIMINAL AND ELECTION LAWS AMENDMENT BILL, 1969 —*contd.*

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. P. BHARGAVA) : We come back to the Criminal and Election Laws Amendment Bill, 1969. The First Reading was over. We shall now take up the clause by clause consideration of the Bill.

Clause 2—Substitution of new section for section 153A

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. P. BHARGAVA) : There are eight amendments. Mr. Niranjan Varma and Mr. Vaishampayen are not here. Mr. Ganeshi Lal Chaudhary, are you moving your amendment?

SHRI GANESHI LAL CHAUDHARY (Uttar Pradesh) : Mr. Vice-Chairman, Sir, I move :

20. "That at page 2, line 4, for the words 'or ill-will' the words 'ill-will or untouchability' be substituted".

मेरा जो एमेंडमेंट है वह बिलकुल सीधा-सादा है। में चाहता हूं कि जहां पर आपने . . .

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. P. BHARGAVA) : Ill-will or untouchability.

SHRI GANESHI LAL CHAUDHARY : "Feelings of enmity, hatred or ill-will". दिया है उनके साथ 'अनटचेबिलिटी' भी जोड़ दें क्योंकि मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि अभी श्री शंकराचार्य ने पटना में थोड़े दिन हुए एक सभा की और उस धार्मिक सभा में उन्होंने खुल्लमखुल्ला हरिजनों के खिलाफ प्रचार किया और अनटचेबिलीटी का प्रचार किया और आपका देश का जो कानून है उसके मातहत उनको सजा नहीं दिलाई जा सकी। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि जब तक आप "अनटचेबिलिटी' को भी इसमें नही ला देते तब तक जो लोग हरिजनों, शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के खिलाफ छुआछूत मानते हैं, उनके खिलाफ प्रचार करते हैं उनको इस कानून के मातहत सजा नही दी जा सकती। यह कहने के बाद मैं प्रार्थना करूंगा कि आप मेरे एमेंडमेंट को मान लें।

The question was proposed.

गृह कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : उपसभाध्यक्ष जी, जो यह प्रश्न माननीय सदस्य ने उठाया है उस पर हमे कोई आपत्ति नही है, परन्तु मै उनको यह बताना चाहता हूं कि यह अनावश्यक है क्योंकि जो अनटचेबिलिटी या छुआछूत मिटाने का कानून 1955 मे बना था उसमे हमने कुछ खामियां अवश्य पाई है। अब परिमल कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद हम इस बात पर सोच-विचार कर रहे है कि उन खामियो को दूर करें ताकि उस तरह के दृष्टान्त, जैसे कि माननीय सदस्य ने बताए, फिर न आ सकें और इन लोगो को जो छुआछूत की भावना फैलाते है न केवल रोका जा सके बल्कि ऐसे लोगो को सजा भी दी जा सके। इसके बारे मे हम सोच-विचार कर रहे है। जो कानून इसके बारे में बना है उसी में सुधार की आवश्यकता है बजाय इसके कि इस कानून मे ऐसा कुछ जोड़ा जाय। चूकि मैने यह बात अभी बताई कि हम कानून में सुधार करने के लिए सोचविचार कर रहे है, मै उम्मीद करता हूं कि माननीय सदस्य अपने संशोधन को प्रेस नही करेगे और उसे वापस ले लेगे।

श्री नेकी राम (हरियाणा): उपसभाध्यक्ष जी, अगर आप इजाजत दें तो मै हाउस के नोटिस मे और आपके नोटिस मे एक-दो बातें ला दू। जैसा मेरे साथी ने कहा, इनसान से छुआछूत करना जुर्म है। और एक दल ऐसा भी है एलेक्शन मे कि जो छूत को बढ़ावा देता है और चाहता है कि यह जाने न पाये। जैसे मै एक बिरादरी से ताल्लुक रखता हूं तो दूसरी बिरादरी वाला कहता है कि यह तुम्हारे यहां जा कर बैठता है, हम भी तुम्हारे बराबर जा कर बैठेंगे इस लिए हम को वोट दो और इस पर वह सब एग्री कर जाते है। इस लिए मै हाउस के जरिये और आप के जरिये प्रार्थना करूगा कि इस सवाल पर भी विचार किया जाय।

Shri GANESHI LAL CHAUDHARY: I would like to withdraw my amendment.

**Amendment No. 20 was, by leave, withdrawn.*

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. P. BHARGAVA): The question is:

"That clause 2 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 2 was added to the Bill.

Clauses 3 to 7 were added to the Bill.

Clause 8—Composition of the Press Consultative Committee and rules in respect thereof

SHRI GANESHI LAL CHAUDHARY: Sir, I move:

24. "That at page 5, line 21, for the words 'and journalists' the words 'journalists, public men and persons from the Scheduled Castes and Scheduled Tribes' be substituted."

उपसभाध्यक्ष महोदय, मै यह चाहूंगा कि सेक्शन 8 मे इस बात का प्रावधान किया गया है कि प्रेस कसल्टेटिव कमेटी जो बनेगी उस का कंपोजीशन क्या होगा। उस मे दिया गया है कि उस मे एडीटर्स होगे, पब्लिशर्स होंगे और जर्नेलिस्ट्स होंगे, मै माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप के जरिये यह कहना चाहता हूं कि इस मे जोड दिया जाय कि "पब्लिकमेन ऐंड परसन्स फ्राम दि शेड्यूल्ड कास्ट्स ऐंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स"। मै यह इस लिए कहता हूं कि जब भी कोई बात आती है किसी जगह के लिए तो मै देखता हूं कि शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के जो आदमी है वह नही लिये जाते। जब आप इस का कास्टीट्यूशन बना रहे है तो मैं चाहूगा कि आप बिल मे ही इस बात की ताकीद कर दे कि इन तबकों के आदमी भी इस प्रेस कमेटी मे रहें। मै यह इस लिए कह

*For text of amendment, *vide* col. 5764 *supra*.

रहा हू कि ऐसा देखा गया है कि जब भी समय आता है तो, जहा हरिजनो या गिरिजनो का रिजर्वेशन नही है वहा उन नवको के आदमियो को कही नही लिया जाता। आज बीस, बाइस वर्ष हो गये, आप ने अपने कानून मे यह रखा है कि सर्विसेज मे रिजर्वेशन हो। लेकिन जब मै पिछले बीस वर्ष के इतिहास को देखता हू तो पाता हू कि हम लोगो का परसेटेज मुश्किल से एक या दो परसेट है। मेरा ख्याल है कि अगर इसी गति से आप चलेगे तो शायद इसे पूरा होने मे सौ, दो सौ वर्ष लगेगे और चार सौ वर्ष भी लग सकते है। मै यह इस लिए भी कहता हू कि जब सविधान कहता है कि हरिजनो का रिजर्वेशन होना चाहिए तब भी इस प्रकार की व्यवस्था न होना माफ साफ हमारे सविधान की अवहेलना है। इस लिए मै चाहूगा कि आप जो भी एक्ट बनावे उस मे जहा भी किसी के नामिनेशन की बात करे, कमेटीज की बात करे वहा पर हरिजनो के रिजर्वेशन की बात अवश्य होनी चाहिए, वरना मै देखता हू कि हरिजन या गिरिजन इन कमेटियो मे नही आ पाते है। इन शब्दो के साथ मै माननीय मत्री जी से कहूगा कि वे मेरे इस सशोधन को मान ले।

The question was proposed.

श्री विद्या चरण शुक्ल : माननीय उपसभाध्यक्ष जी, यह जो समिति बनायी जा रही है इस विधेयक के अन्तर्गत, इन का काम यह रहेगा की यदि किसी अखबार के ऊपर कोई कार्यवाही करनी है, उस के प्रति किसी को कोई शिकायत है तो वह शिकायत इन ममितियो के सामने जायगी और उस पर सोच विचारकर समिति सरकार को राय देगी की उसे क्या करना चाहिए। चूकि इनका काम अखबारो से सम्बन्धित है इस लिए यह प्रावधान किया गया है कि इस मे पत्रकार लोग और हमारे जो सार्वजनिक क्षेत्र मे काम करने वाले लोग है और दूसरे जो व्यक्ति है उन को इस मे शामिल किया जाय। इस मे हमारे हरिजन भाई या गिरिजन भाई या और भी विभिन्न लोग शामिल किये जा सकते है।

श्री नेकी राम : यह गिरिजन कहा से आ गये। कानून मे तो कही नही है।

श्री विद्या चरण शुक्ल : माननीय सदस्य का यह कहना बहुत अश तक सही है कि बहुत से क्षेत्रो मे हरिजन भाई या गिरिजन भाई नही लिये जाते। इस के लिये हम प्रयत्न बहुत कर रहे है और कही कही उन के लिये स्थान सुरक्षित किये गये है। कही कही उन को सुरक्षित किये हुए स्थानो से भी ज्यादा स्थान मिले हुए है। जैसे इस सदन मे उन के लिए कोई रिजर्वेशन नही है, लेकिन तो भी बहुत से माननीय सदस्य जो हरिजन या गिरिजन है, यहा आये है और यहा के सदस्य भी है, और मै मानता हू कि जहा आवश्यक हो वहा यह अवश्य करना चाहिए। जहा तक सर्विसेज का सम्बन्ध है वहा पर तो इस तरह का रिजर्वेशन किया गया है और प्रयत्न यह किया जा रहा है कि जो सुरक्षित स्थान है, उन मे ज्यादा से ज्यादा लोग आये। हम को मालूम है कि उम मे क्या दिक्कत होती है, लेकिन उस के लिए प्रयत्न किया जा रहा है। लेकिन मै नही समझता कि इस समिति मे इस तरह का कोई रिजर्वेशन करने से कोई फायदा होगा या यह आवश्यक है। यदि यह आवश्यक होता तो मै बिना हिचक इस को मजूर कर लेता। मै चूकि समझता हू कि इस तरह का रिजर्वेशन इस समिति मे अनावश्यक है इस लिए मै माननीय सदस्य से अनुरोध करूगा कि वे अपने सशोधन पर जोर न डाले।

SHRI GANESHI LAL CHAUDHARY: Sir, I would like to withdraw my amendment

**Amendment No 24 was, by leave, withdrawn.*

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M P. BHARGAVA) : The question is :

"That clause 8 stands part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 8 was added to the Bill.

---

*For text of amendment, *vide* col. 5766 *supra*.

[The Vice-Chairman]

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA Sir, I move :

"That the Bill be passed."

The question was proposed.

श्री मानसिंह वर्मा (उत्तर प्रदेश) : उपसभाध्यक्ष महोदय, यह बिल इस लिए लाया जा रहा है कि जो सांप्रदायिक भावनाएं हैं उन को रोका जाय, मानव के प्रति मानव की जो घृणा है उस मे रुकावट डाली जाय। और यह ठीक है, इस प्रकार की जो भावनाएं है उन को रोकना ही होगा। किन्तु मुझे इस मे शका होती है कि इस प्रकार के कानूनों से इस मे किसी प्रकार की रुकावट आयेगी। मुझे यह बात याद आ जाती है श्रीमन्, कि एक व्यक्ति स्वस्थ तो रहना चाहता है किन्तु वह इस प्रकार की हरकते करता है कि जिस से स्वास्थ्य खराब हो। वह खूब ठूस ठूस कर खाता है और ज्यादा खा लेने पर चूरन खाता है कि खाना हजम हो जाय। बजाय इस के कि वह सीमित खाना खाये ताकि चूरन खाने की जरूरत ही न पड़े। मेरे कहने का मतलब यह है कि 'प्रिवेशन इज बेटर दैन क्योर'। इस वक्त भावनाएं ही इस तरह की बननी चाहिए थी कि उन से इस प्रकार की भावनाए दूर होती, किन्तु बडे दु:ख के साथ हम को कहना पडता है कि विगत 22 वर्षो मे इस प्रकार की भावनाएं बढी है, घटी नही है। प्रारम्भ से ही, प्रात:स्मरणीय पूज्य महात्मा गांधी से ले कर आज तक सभी ने इस के लिए कार्य किया है, किन्तु आज भी मैं यह देखता हूं कि इस जमाने मे भी स्थान स्थान पर साप्रदायिक झगड़े होते है, मजहब के नाम पर मार-काट होती है।

मैं कल अधिक देर तक यहां नही रहा किन्तु मैंने कल थोडी देर तक मौलाना असअद मदनी का भाषण सुना और उसमे उन्होने ये शब्द कहे कि हम तबाह किये जा रहे है, हमे बर्बाद किया जा रहा है, हमारी सफाई हो रही है। इस प्रकार की प्रवृत्ति उन्होने यहा बताई। उन्होने यह भी बताया कि जगह जगह साम्प्रदायिक झगडे होते है और वहां पर हमारे ऊपर एक प्रकार से अन्याय ही किया जाता है। ऐसी बात उन्होंने कही। वह इस समय यहां मौजूद नही हैं, उन्होने यह भी कहा कि हर जगह जहां जहाँ झगडा हुआ मै गया, वह यहां होते तो मैं उनसे यह पूछता कि वह कौनसा स्थान है जहा कि मौलाना मदनी जी गये हों और झगड़ा न हुआ हो। मैं यह बड़े थोड़े मे कहना चाहता हूं कि कुछ लोगो का यह काम ही है, वह इसी मिशन को लेकर आये हैं, कि झगडा कराया जाय। मैं मेरठ का रहने वाला हूं, मेरठ मे मैंने देखा कि शेख अब्दुल्ला को बुलाया गया और उन लोगो ने बुलाया जो कि अपने आप को बड़ा नेशनलिस्ट कहते थे, ऐसे व्यक्ति को बुलाया जो कि अराष्ट्रीय है, जो कि काश्मीर को हमसे बांट देना चाहता है, भारत के प्रति उसके जो भी विचार हैं वह सभी जानते है, ऐसे व्यक्ति को खुल्लम खुल्ला बुलाया गया और अपने आप को राष्ट्रीय कहने वाले मुसलमानो ने उसको बुलाया और उसका नाम ले कर जो झगड़ा वहा हुआ उसकी वह हवा वहा बाधी कि हम मुसलमानों पर इतना अत्याचार हुआ। इलाहाबाद का भी हमे मालूम है, रांची का मालूम है, आसाम और गौहाटी मे जो हुआ उसके विषय मे भी मालूम है। मैं क्या सरकार भी इस सब को जानती है। जहा जहा जुडीशियल इंक्वायरी बैठी है, जुडीशियल कमिशन्स बैठे है उन कमिशनो की रिपोर्ट्स को भी मदनी साहब झुठला देते हैं, वह कहते है कि सरकार की मशीनरी भी बेईमान है, जुडीशियरी भी बेईमान है क्योकि उन्होंने वास्तविकता सामने लाकर रख दी। श्रीमन्, यह कहने मे मुझे कोई संकोच नही है कि रिपोर्ट्स भी यह कहती है, कमिशन्स भी यह कहते है कि जहा जहा भी झगडा हुआ अधिकाश स्थानो पर पहल जो है वह हमारे मुसलमान भाईयों की तरफ से हुई। जब वह पहल हो गई और जब उसका जवाब देने के लिए लोग आते है तो उसको भी बड़ा बना कर सामने रख दिया जाता है।

मैंने प्रारम्भ में ही यह बात की थी कि एक अल्पसंख्यक है, मेजारिटी है, माइनारिटी है,

एक अल्पसंख्यक है, एक बहुसख्यक है, इस प्रकार की जो भावना, इस प्रकार की जो धारणा हमारे देश के अन्दर है उससे, श्रीमन्, सुधार होने वाला नही है। मै यह समझता हू कि सारा राष्ट्र अपना है, एक परिवार है। एक परिवार मे छोटे बच्चे भी है, बडे बच्चे भी है, बडे भाई भी है, छोटे भाई भी है, ओर परिवार मे पारिवारिक भावना के वशीभूत हो कर सब के लिये समान व्यवहार हुआ करता है, आप जानते है कि जो छोटा बच्चा होता है उसको अधिक दूध की आवश्यकता होती है, अधिक गिजा की आवश्यकता होती है और अगर बडा बच्चा यह शिकायत करने लगे कि क्यो उसको अधिक देते हो तो जरा सा बुरा लगता है, लेकिन अगर उसको यह कह कर दिया जाय या यह साबित होने लगे कि उसके साथ तरफदारी करना चाहते है तो फिर आपस मे बडी जेलसी पैदा हो जाती है। तो पारिवारिक भावना भी बनी रहे और यह भी महसूस न हो कि किसी के साथ कोई विशेष प्रकार का व्यवहार किया जाता है तब पारिवारिक भावना बनी रहती है, नही तो वह टूट जाती है। आज स्थिति यह है कि मर्ज बढता गया ज्यो ज्यो दवा की। हमेशा हम हिन्दू मुस्लिम एकता के लिये नारा लगाते रहे और आज तक इतनी इटेग्रेशन कौसिले काम करती रही लेकिन मै पूछना चाहता हू कि क्या उसके द्वारा कोई चीज ठीक हो जायगी जब तक कि यह भावना नही होगी कि हम राष्ट्रीय है, यह हमारा देश है, हम इस मिट्टी से पैदा हुये है और इसी मे हम मर जायेगे। शुरू से ले कर अब तक के इतिहास को हम देखते है तो पहले पाच मागे आई, फिर 14 मागे आई, फिर कम्युनल एवार्ड आया और फिर पाकिस्तान बन गया और अब हिन्दुस्तान के अन्दर पाकिस्तान बनाने की योजना चल रही है। तो जब ऐसी स्थिति होती है, मै आज यहा कह देना चाहता हू मुझे क्षमा करेगे, तब किस प्रकार ऐसा हो सकता है कि हिन्दू को छेडा जाय, यहा का जो रहने वाला राष्ट्रीय है, जो अपने को राष्ट्रीय मानता उसको छेडा जाय और छिड कर के, पिट कर के वह बैठ जाय, यह तो नही होगा देश के अन्दर। मेरे अनेक मित्र मुसलमान भाई ऐसे है जिनका सचमुच मे राष्ट्रीय चरित्र, है पहले भी ऐसे हो चुके है और अब भी है, उनके प्रति किसी प्रकार की कोई बात नही है। कल बैरिस्टर साहब ने भी हरिजनो की बात कही थी, हरिजानो के प्रति दुर्भावना फैलाने की बात की जाती है और आज 22 वर्ष के पश्चात् भी यह बीमारी दूर नही हुई है। क्यो नही हुई है। इस वास्ते कि राजनैतिक रूप से इसको देखते है। पहले भी जब मुझे अवसर मिला था तब मैने कहा था कि यह राजनैतिक बीमारी नही है, कानून इसको ठीक नही कर सकता, इसको समाज ही ठीक करेगा, यह सामाजिक बीमारी है। प्रश्न यह है कि इस सामाजिक बीमारी को किस प्रकार से ठीक किया जा सकता है। मै देखता हू कि 22 वर्ष के अन्दर दलितो, हरिजनो और गिरिजनो का एक अलग वर्ग बन कर तैयार हो गया है। मुझे मालूम है, इस फील्ड मे मैने काम किया है, शुरू मे जो हमारे हरिजन भाई आगे बढना चाहते थे वह अपने आप को कहा करते थे कि हम हरिजन नही है लेकिन अब वह अपने आप को हरिजन और दलित कहने मे फख्र हासिल करते है। किस वास्ते। इसलिये कि उनका एक वर्ग बन गया है और वर्ग बनने से राजनैतिक फायदा है। यह भावना पैदा हो रही है कि एक अलग वर्ग बनाना चाहिये ताकि राजनैतिक लाभ मिले, यह जो भावना है उससे समाज नष्ट हो जायगा और उस पर कुठाराघात करना होगा। समाज के द्वारा सरकार के द्वारा कानून बनते है लेकिन मै मानता हू कि कानून आवश्यक हो सकते है फिर भी उनको कहा तक बनाते चले जायेगे जब कि इस प्रकार भावना काम करती रहे क्योंकि मुझे मालूम है कि इस प्रकार के एलिमेटस, इस प्रकार के तत्व यहा पर काम कर रहे है जिनकी धारणाये, जिनकी भावनाये, जिनका विश्वास कही बाहर है और वह यहा पर काम करते है। श्रीमन्, इसको कैसे रोका जा सकता है। जो भाई यहा पर इस

[श्री मानसिंह वर्मा]

देश को अपना देश समझते है, इस भूमि को अपनी भूमि समझते हैं, इसकी मिट्टी को अपना शरीर समझते हैं, मैं समझता हूं कि कभी भी उसके द्वारा इस प्रकार का कोई भी कार्य नहीं हो सकता जो कि देश का विघटन करने वाला कार्य हो या जिससे देश को किसी प्रकार की हानि होती हो।

मैं अधिक न बोलते हुये यह निवेदन करूंगा कि यह ठीक है कि मंत्री महोदय आप कानून बना रहे हे लेकिन मैं यह समझता हूं कि सरकार की तरफ से इस प्रकार के कुछ कार्य होने चाहिये जिससे कि जिन कारणों से इस प्रकार की यह जो भावना है वह दूर हो जाय। मुझे तो ऐसा लगता है, मुझे क्षमा करेंगे, यह समस्या बराबर बनी रहे ऐसा प्रयास अब तक किया गया है क्योंकि यह समस्या अगर खत्म हो गई तो अनेकों की लीडरी खत्म हो जायगी, वोट मिलेगा नही। मैं जानता हूं, यह कितनी विडम्बना है कि 22 वर्ष के बाद भी हरिजन समस्या आज भी विशेष रूप से गम्भीर बन कर सामने आ रही है। क्या कारण है। इसका सब से बड़ा कारण यह है कि कुछ लोग सोचते हैं कि जब तक यह समस्या बनी रहेगी तब तक हमारी नेतागिरी बनी रहेगी, लीडरी बनी रहेगी, वोट मिलता रहेगा और जो राजनैतिक बैलेंस है वह इसी प्रकार से बना रहेगा। मै यह बतला देना चाहता हूं कि इस धारणा को समूल नष्ट करना पड़ेगा, इसको समाप्त करना पड़ेगा और हमारे जो हरिजन भाई है उनको भी इस बात के लिये विचार करना होगा। उनको हीन भावना को त्याग कर के अपने को बढाना है। मे मानता हूं कि बड़े बड़े अत्याचार उन पर हो रहे हैं।

उपसभाध्यक्ष (श्री महावीर प्रसाद भार्गव) : तृतीय वाचन में भाषण भी समाप्त करना है।

श्री शीलभद्र याजी (बिहार) : यह तो आपने अपना प्रवचन कर दिया।

श्री मानसिंह वर्मा : प्रवचन नही करता, मैं एक कार्यकर्ता हूं।

श्रीमन्, यह जो विधयक लाया जा रहा है कि जो इस प्रकार की भावना है उसको दबाया जाय, मगर यह दबे कैसे। देखा जाय तो इससे पहले भी इस तरह के कानून बने हुये थे कि कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से घृणा करता है तो उसको सजा दी जाय, उसको रोका जाय। अभी मंत्री महोदय ने कहा था कि छुआछूत को रोकने के लिये, उसको दूर करने के लिये कानून बना हुआ है और मुझे मालूम है, मुझे सारे हिन्दुस्तान में जाने का मौका मिला है मै जानता हूं कि जहां जहां पर वह कानून लागू है, जिन जिन स्टेट्स में वह लागू कर दिया गया है, वहां वहां कितने मुकदमे आज तक चले हैं और कितनों में सजायें हुई है। न मुकदमे चले हैं और न सजायें हुई है। तो ऐसे विधेयकों का कोई उपयोग नही है। मै ऐसा मानता हूं, 'आई मे बी रांग' कि कोई भी सामाजिक परिवर्तन, कोई भी सामाजिक सुधार हृदय परिवर्तन से, मस्तिष्क परिवर्तन से, चेंज आफ विजन मे हुआ है, कभी भी वह डंडे के जोर से नही होता। इसलिये मै प्रार्थना करूंगा कि जहां आप इस प्रकार के कानून लाते हैं और ठीक है उसके लिये सख्त से सख्त कानून बनाते हैं वहां उसकी ओर भी ध्यान करें क्योंकि एक साल में, दो साल में हो सकता है और भी सख्त कानून बनाना पड़ेगा अगर इस भावना का मूलोच्छेदन नही हो। इन शब्दों के साथ मैं अपने कथन को समाप्त करता हूं।

3 P. M.

SHRI CHITTA BASU (West Bengal) : Mr. Vice-Chairman, the particular object of this Bill is commendable because it seeks to fight the communal virus in our country and in this respect the Government should receive the all-out support from all sections of this House. I extend my support to this measure. While extending my support I cannot but make certain observations looking at the figures of the communal disturbances very recently . . .

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. P. BHARGAVA : And also looking at the fact that it is the third reading.

SHRI CHITTA BASU : . and of course, also bearing in mind that I am speaking at the fag end of the debate Sir, I hope you will agree with me that these communal incidents instead of being on the decrease, are actually on the increase as certain figures which are with me suggest The number of such incidents in 1966 was 132 It increased to 220 in 1967 It has further increased to 349 in 1968 And for the first three months of the present year it has already reached 101 Thus I would like to emphasise that the number of communal incidents is on the increase and this has to be fought squarely I am sorry to say that unless this communalism is fought on the political level and other levels, it is not going to be a successful attempt I am greatly surprised when I listened to my friend Mr Man Singh Varma that even there are certain political approaches to this particular problem which instead of easing the situation, will aggravate the situation Since I have not got much time at my disposal I shall not discuss the problem in detail But I strongly feel and I hope the entire House will share my feelings when I say that it is the principal and primary responsibility of the majority community to ensure the security of the minorities living in this country, be it religious minorities, be it linguistic minorities, be it minorities of other nature The responsibility lies squarely with the majority community And I am sorry to say that the majority community is also being infected by communalism and certain political parties are also creating such conditions There lies the great danger There lies the great anxiety Sir, I think you have become very much restless to conclude this debate I would only say that unless we adopt this kind of a political approach that it is the majority community which has to ensure the security of the minority communities, I think the communal incidents instead of decreasing will only increase Therefore, while supporting this measure which has a very limited purpose I urge upon the Government not to remain content only with certain legislative measures of the nature that they have now brought forward but to take other steps, namely, there should be a consistent campaign for communal amity, there should be a systematic campaign among the younger generation against the communal virus, I suggest that there should be an all-party committee at all levels to fight this communalism and at the same time certain vigorous energetic programmes should be undertaken for the socio-economic upliftment of the minorities whether of a religious nature or of a linguistic nature or of any other nature That alone can create conditions which will banish communalism from our country and make the secular concept of our country a permanent feature in our life With these words I support the measure

श्री राजनारायण (उत्तरप्रदेश): श्रीमन् .

उपसभाध्यक्ष(श्री महाबीर प्रसाद भार्गव) : 4 घटे के समय मे 10 मिनट बाकी है ।

श्री राजनारायण : यानी, जितने लोग बोले है उसके हिसाब से देख लीजिए ।

मै बहुत सी बातो का इस समय जवाब देना चाहता हू । यह विधेयक जो इस रूप मे प्रस्तुत है, बहुत अनावश्यक है, व्यर्थ है, इसकी कोई जरूरत नही है ।

श्री शीलभद्र याजी : आपकी नजर मे सब व्यर्थ है ।

श्री राजनारायण : क्योकि अगर यह सरकार राष्ट्रीय एकता चाहती है, यदि यह सरकार चाहती है कि साम्प्रदायिकता की बाढ न हो तो इस विधेयक मे ऐसी कौन-सी बात है जो रोके और यह कौन-सी बात इसमे है जो पहले नही है ?

श्री शीलभद्र याजी : 3 वर्ष, 5 वर्ष के डडे की सजा है ।

श्री राजनारायण : मै पहले ही उसको बोल दू, 3 वर्ष, 5 वर्ष का डडा हो, *या 3 महीने या* 6 महीने का डडा हो, अगर उस डडे को बर्दाश्त

[श्री राजनारायण]
करने वाला शीलभद्र याजी सा ज़बर्दस्त गुडा हो . . .

श्री विद्या चरण शुक्ल : माननीय सदस्य को गुंडा कहना ठीक नही है। गलत बात है। कोई हद होनी चाहिये।

उपसभाध्यक्ष (श्री महाबीर प्रसाद भार्गव) : राजनारायणजी, पहले मेरी रूलिग है। "Goonda" is not parliamentary "Goondaism" is So you cannot use "goonda".

श्री राजनारायण : मगर मै, चूकि आप एक साहित्यिक रूप मे गये, इसलिये बता दू अगर आपकी ऐसी रूलिग निकली हो तो ठीक है।

उपसभाध्यक्ष (श्री महाबीर प्रसाद भार्गव) : यह पुरानी है, आज की नही है।

श्री राजनारायण : गुडा शब्द, श्री जयशकर प्रसाद जो महान् कवि सम्राट् है, उनके प्रति बहुत ही अन्याय हो जायेगा। हमारे शिक्षा मत्री यहा बैठे हुए है वह जानते है श्री जयशंकर प्रसाद ने गुडा नाम की एक ऐतिहासिक कहानी लिखी है।

श्री शीलभद्र याजी : हम बराबर उन्हे इसी शब्द से विभूषित करेगे लेकिन गुडा शब्द के पहले उनको 'इस्टीम्ड' लगाना चाहिये। इस्टीम्ड गुडा कहे।

श्री राजनारायण : उन्होने कहा, गुंडा है वह जो दूसरो की मुसीबत मे अपने सर्वस्व की बाजी लगा कर, हिम्मत करके, उसे मुसीबत से बचाये। तो वह ननकू गुडा था, जब वारेन हेस्टिग्ज आया था और जब चेत सिह भागा था तो ननकू गुडा को याद किया था। वह उस "गुडा" नामक कहानी मे है। तो हमने उनकी प्रतिष्ठा बढाने के लिये गुडा कहा है। और देखिये, हमारे जो राष्ट्रपति चुने गये है वह बराबर कहते है "आई एम ए पोलिटिकल गुडा"। पहले दिन उनके दामाद का टेलिफोन आया, श्रीमन्, मै वहां गया था।

श्री रिजकराम (हरियाणा) : यह शब्द अच्छा है तो अपने लिये रिज़र्व कर लीजिए।

श्री राजनारायण : मै आपको बताता हूं। हम सुबह उनके यहा मिलने गये थे। तो उनके दामाद ने क्या कहा। उन्होने कहा कि "Connect the telephone and tell him that one goonda wants to talk to another goonda." तो गुडा एक बहुत आदरणीय शब्द है। हम उसी अर्थ मे गुडा का प्रयोग करते है, हम मुछमुडे गुडो के लिये प्रयोग नही करते है, जो आजकल के लफगे लोग है।

उपसभाध्यक्ष (श्री महाबीर प्रसाद भार्गव) : राजनारायणजी, विधेयक पर आइये।

श्री राजनारायण : अच्छा मै विधेयक पर आ रहा हू। हमारे मित्र चले गये। अच्छी तरह से देख लिया जाये। आज इस देश मे जितनी संप्रदायवादिता है, आज इस देश मे जितनी जातिवादिता है, आज इस देश मे जितनी क्षेत्रीयवादिता है, आज इस देश मे जितना भाषा का तनाव, झगडा है, यह सब की जननी काग्रेस की सरकार है। अगर काग्रेस की सरकार न रहे तो न क्षेत्रीयता रहेगी, न भाषा का विवाद रहेगा न सप्रंदायवादिता रहेगी, न देश मे किसी प्रकार का तनाव रहेगा, क्योकि सारे के सारे झगडे इसने खडे किये। आप कही का उदाहरण ले लीजिए, श्रीमन्, आप ले लीजिए, इलाहाबाद, आप ले लीजिए मेरठ, आप ले लीजिए राची, आप ले लीजिये सुरसंघ, आप ले लीजिए अलीगढ—1951, 1956 और 1961—आम निर्वाचन के पूर्व काग्रेस सरकार ने हिन्दू मुस्लिम दगा कराया।

श्री शीलभद्र याजी : गलत बोलते है।

श्री राजनारायण : इसीलिये कराया कि मुसलमानो का वोट डरवा कर ले ले। एक तरफ उनके गुरगे दगे करवायेगे और जब बेचारों की कुछ मस्जिद की ईंटे गिरेगी तो यह अपने उम्मीदवारो से उस मस्जिद को बनाने के लिये,

ईटे लगाने के लिये पैसा देगे । मै हैरत मे हूँ । यहाँ नूरूल हसन है उनसे पूछ लिजिए, अलीगढ़ का जो दगा हुआ था ठीक 2 अक्टूबर को--गाधी जयंती थी, नेशनल इन्टीग्रेशन बैठा था दगे हो गये । दिल्ली की नाक के नीचे ..अरे अकबर अली खान साहेब बिल्कुल सोये है। अरे घर जाकर सोइये । तो यह जो इलेक्शन की बात आई है, मै इस संबंध मे गाधीजी का एक वाक्य कहना चाहता हूं । गाधीजीने जब देश आजाद हुआ, अंग्रेज चले गये, तो कुछ कॉंग्रेस के बडे बडे नेता गये आशीर्वाद लेन । बापू ने कहा था "Learn. Now you have got power. Learn to sit light, not tight". एक वाक्य मे गांधीजी ने कहा था कि आप लोग कुर्सियो पर लाइट बैटो, हल्कापन से बैठो और चेयर पर जोर देकर न बैठो। लेकिन यह काग्रेस सरकार कुर्सियो पर इस तरह से चिपक गई है कि अब वहा मे हटने का नाम ही नही लेती है। अब काग्रेस की सरकार कुर्सियो मे टाइट होकर बैठ गई है और गांधीजी के वाक्य को बिल्कुल भूल गई है और हमेशा के लिए कुर्सियो पर चिपका रहना चाहती है ।

श्रीमन्, मै सरकार से एक ही निवेदन करना चाहता हू कि वह इस विधेयक को वापस ले ले और एक क्लाज आखिर मे इसमे और जोड दे कि अगर कोई पार्टी का सदस्य पार्टी में रहते हुए पार्टी के उम्मीदवार की मुखालिफत करेगा तो उसे 6 साल की सजा दी जायेगी । यह चीज इसमे होनी चाहिये । मै चाहता हू कि सरकार इस विधेयक को वापस ले ले और इसकी गम्भीरता को सोचे कि इस देश मे जनतत्र चलेगा या इस देश मे तानाशाही चलेगी । इस देश मे पार्टी व्यवस्था चलेगी या फिर इस देश मे पापाचार चलेगा । पार्टी का एक कैंडिडेट है और हम मे इतनी नैतिकता न हो कि पार्टी से अलग होकर उस पार्टी के उम्मीदवार की मुखालिफत करे । राष्ट्रपति का चुनाव हुआ और उसमे इतनी भारी गडबडी हुई । भारत एक महान् देश है और दुनिया मे सब से बडा जनतंत्र है और आज दुनिया मे उसकी हसाई हो रही है । इसलिए मै कहना चाहता हूं . . .

श्री शीलभद्र याजी : हमारी पार्टी मे क्या होता है, इससे आपको क्या लेना है ? क्यो आप लोगो की नानी मर रही है ?

श्री राजनारायण : किसी के घर की बात नही है और किसी के बाप की बपौती नही है । यह सार्वजनिक सवाल है और सार्वजनिक रूप मे उठ खडा हुआ है और इस सवाल का जवाब होना ही चाहिये । आखिर शासन कैसा होना चाहिये । अगर देश मे रूलिग पार्टी का अनुशासन टूटता है तो सारे देश का अनुशासन टूटता है । आज काग्रेस पार्टी मे क्या हो रहा है । आज पार्टी का जो उम्मीदवार है उसकी मुखालिफत पार्टी के लोग कर रहे है । यह नो वैसी ही कहावत हो गई जैसे "चोर चोर, मौसेरे भाई की" । सारे देश मे बहुत जोरो का बावेला मचा हुआ था कि अनुशासन होगा, अनुशासन होगा, यह किया जायेगा वह किया जायगा । मगर एकदम जिस तरह से वैलून की सारी हवा निकल जाती है और वह चिपक जाता है उसी तरह से काग्रेस पार्टी की भी हालत हो गई । उसकी भी सारी हवा निकल गई और गई वह चिपक कर बैठ गई है । यह क्या तमाशा है । मैंने पहले ही कहा था की अगर किसी मे तनिक भी सम्मान होता, किसी पार्टी या उसके सदस्यो मे होता, तो इस तरह की बात नही की जाती ।

श्रीमन्, मै यह जानना चाहता हू कि इस विधेयक मे सरकार और पार्टी का कोई रिश्ता बतलाया गया है, मै चाहता हू कि इस तरह का विधेयक बनाया जाता जिसमे पार्टी और सरकार का रिश्ना निरापद होना । पार्टी सरकार होगी या सरकार पार्टी होगी । इस विधेयक मे इस तरह का अभाव है ।

श्रीमन्, हमारे मित्र ने इस विधेयक मे कुछ संशोधन हरिजनो के सम्बन्ध मे पेश किए है । जब किसी चीज मे कोई आस्था नहीं होती है किसी चीज़ मे कोई विश्वास नहीं होता

[श्री राजनारायण]

है, तो इधर उधर की बातें करके उसके वापस ले लिया जाता है। मुझे बहुत अफसोस है कि हमारे मित्र ने अपने संशोधनों को वापस ले लिया है। आज अगर हरिजनों के लिए कुछ सीटें रिफ़र्व नही होतीं तो क्या पार्लियामेंट में और विधान सभाओं में हरिजन आ पाते। हमारे मंत्री जी कहते हैं कि हमारी कृपा से ये लोग आये है और इन्हें ले लिया जायेगा और अगर हमारी इच्छा होगी तो कुछ हरिजनों को ले लेंगे। लेकिन मै यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस बारे में निश्चय हो जाना चाहिए कि इतना प्रतिशत हरिजनों को कमेटी में प्रतिनिधित्व दिया जायेगा। जहां पर पिछड़े हुए हरिजन हों, मुसलमान हों, दबे हुए लोग लोग हों, गरीब आदिवासी हों, औरत हों, शूद्र हों, जो कि समाज का 90 प्रतिशत हिस्सा है, उन्हें जीवन के हर क्षेत्र में कम से कम 60 प्रतिशत प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिये। इस तरह का उन्हें चाहे व्यापार हो, सचिवालय हो, पल्टन हो, हर जगह पर 7 प्रतिशत मिलना चाहिए तब जाकर मसला हल हो सकता है वरना टांय टांय फिस (*Interruptions.*) कौन क्रांतिकारी है और कौन नहीं है, इस बारे में सारे देश में हल्ला मचा हुआ था।

(*Interruptions.*)

श्रीमन्, मैं यह कह रहा था कि सारे देश में इस बात का हल्ला मचा हुआ था कि कौन क्रान्तिकारी है। सरकार ने कहा कि हम क्रांतिकारी हैं क्योंकि हमने 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि श्री आर० के० बिड़ला ने श्री गिरि को अपना वोट दिया, तो क्या व समाजवादी हो गए। श्री दिनेश सिंह ने तमाम लोगों को बेदखल करके गरीबों के बगीचों को अपना घर खड़ा किया है, क्या वे समाजवादी हो गए। आज वे अनाप शनाप की बातें कर रहे हैं, क्या वे समाजवादी हो गये।

(*Interruptions.*)

श्रीमन्, यह जो विधेयक है उसमें रिलिजन, रेस, लैंग्वेज, कास्ट एंड कम्युनिटी आदि, शब्द लिखे हुए हैं, लेकिन इसमें जाति प्रथा का नाम नहीं है। रेस की परिभाषा भिन्न हो सकती है, धर्म की परिभाषा भिन्न हो सकती है, तो मेरा कहना है कि इसमें जाति क्यों नही लिख दी गई है। अगर कोई कहेगा कि हरिजन जाति है। श्रीमन्, मै दावे के साथ कहता हूं कि 13 तारीख को हमारी गवाही थी क्योंकि श्री शंकराचार्य के ऊपर मुकदमा चल रहा था। श्री शंकराचार्य जी ने कहा है कि हिन्दू धर्म में अछूत हैं। तो मै यह जानना चाहता हूं कि क्या यह जनतंत्री है। उनके ऊपर इस सरकार द्वारा मुकदमा चलाने की हिम्मत नही हुई। श्री चव्हाण साहब ने कहा कि हम कानून की सलाह ले रहे हैं। तो मै यह जानना चाहता हूं कि वे कौनसी कानूनी सलाह ले रहे हैं। क्या हम लोग कानून के पढ़े हुए नही हैं। क्या कानून यह नही कहता है कि अगर कोई किसी जाति के खिलाफ गलत प्रचार करता है, समाज में तनाव पैदा करता है, किसी को नीची जाति कहता है तो उसको 6 महीने की सज़ा हो सकती है। लेकिन इस सरकार को लानत है जो अपने को क्रान्तिकारी का दम्भ भरती है। जो सरकार कहती है कि हम हरिजनों की फिक्र करते हैं और उनकी भलाई करना चाहते हैं, इस विधेयक में उसने जाति प्रथा शब्द को नही रखा, तो वह किस तरह से उनकी भलाई कर सकती है।

श्रीमन्, आप देखिये कि आज, कांग्रेस की पार्टी में क्या हो रहा है? अगर पार्टी के उम्मीदवार का कोई विरोध करे तो उसको 8 साल तक किसी भी निर्वाचन से खड़े होने की अनुमति **नहीं दी** जायेगी। अगर इस तरह की बात इस विधेयक में नही होगी तब तक यह विधेयक सफल नही हो सकता है। अगर कोई चोरबाज़ारी करता है, तिकड़म करता है, सत्ता का दुरुपयोग करता है, जिस तरह से दिनेश सिंह ने अपनी सत्ता का दुरुपयोग किया, राजपूत विधायकों को चिट्ठी लिखी, जनसंघ वालों को चिट्ठी लिखी (*Interruptions.*) वह चिट्ठी हमें दिखलाई गई है।

(*Interruptions.*)

उपसभाध्यक्ष (श्री महावीर प्रसाद भार्गव) : आइ एम कालिग दी मिनिस्टर ।

श्री राजनारायण : मै यह जानना चाहता हू कि इस बात का पता लगाया जाये कि केन्द्रीय मंत्रिमडल के कितने टेलीफोन राज्यो को राष्ट्रपति के चुनाव के सबध मे हुए है । क्या इस तरह की तानाशाही चलेगी । मै कहना चाहता हू कि इस तरह की तानाशाही नही चलेगी, व्यक्तिगत तानाशाही नही चलेगी । एक व्यक्ति के पीछे आज सारे देश को तबाह किया जा रहा है । अगर देश के सारे साधनो का इस तरह से दुरुपयोग किया जायेगा तो यह देश डूब जायेगा । इसलिए मैंने कहा, ऐ निजलिगप्पा, तुम कितने बेहैया हो कि तुम आज काग्रेस के अध्यक्ष बने हुए हो, तुम्हे तो इस्तीफा दे देना चाहिये (*Interruptions*) उन्हे इस्तीफा दे देना चाहिये वरना उनका रहना निरर्थक है ।

श्री विद्या चरण शुक्ल : माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, श्री मानसिह वर्मा और श्री चित्त बासु ने जो मुद्दे इस विधेयक के सम्बन्ध मे उठाये है उनका मै जवाब देना चाहता हू । मानसिह जी ने यह कहा कि हमे राष्ट्रीय भावना की आवश्यकता है और हमे अलगाव की भावना को दूर करना चाहिये । मै उनसे निवेदन करना चाहता हू कि इस बिल का उद्देश्य भी यही है । इस तरह की कुत्सित भावना जो फैलाना चाहते है उनको सजा देने का ही प्रावधान इस बिल मे किया गया है । अलगाव की भावना फैला कर लोगो को अलग अलग करना, उनमे एक दूसरे के प्रति दुश्मनी पैदा करना, एक दूसरे के मन मे द्वेष पैदा कर के अलगाव की भावना पैदा करना, चाहे वह भाषा के प्रश्न पर हो, चाहे वह धर्म के प्रश्न पर हो, चाहे वह क्षेत्रीय भावना के प्रश्न पर हो, इन सब बातो को इसमे जुर्म करार दिया गया है । इसके साथ साथ इस बात का भी प्रावधान इसमे किया गया है कि जिन लोगो को इस तरह का कार्य करने के लिये सज़ा मिले उनका किसी तरह का कोई चुनाव का पद भी नही रहने दिया जाये । मै समझता हू कि जो भावनाए माननीय सदस्यो के मन मे है उन भावनाओ को मूर्तरूप देने का इसमे यत्न किया गया है । इसलिये मै उम्मीद करता करता हू कि माननीय सदस्य इस विधेयक का समर्थन करेगे ।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. P. BHARGAVA) : The question is:

"That the Bill be passed."

The motion was adopted.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. P BHARGAVA) : We move on to the Delhi High Court (Amendment) Bill, 1969.

THE DELHI HIGH COURT (AMENDMENT) BILL, 1969

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI K. S. RAMASWAMY) : Mr. Vice-Chairman, Sir, I beg to move :

"That the Bill to amend the Delhi High Court Act, 1966, as passed by the Lok Sabha, be taken into consideration "

Sir, under Section 5(2) of the Delhi High Court Act, 1966, the Delhi High Court has ordinary original civil jurisdiction in every suit the value of which exceeds twenty-five thousand rupees. Under Section 17(3) of that Act the Delhi High Court has such original jurisdiction in respect of the Union territory of Himachal Pradesh also. After the establishment of the Delhi High Court it was found that the limit of twenty-five thousand rupees for civil suits was too low a figure for such a big metropolitan city like Delhi, and that the High Court had started accumulating arrears It was therefore considered necessary, in the interests of speedy disposal of work in the High Court, that the present limit of twenty-five thousand rupees for original suits should be raised, and the High Court should have ordinary original civil jurisdiction only in suits whose value exceeds